पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA भारत

(147)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र.

निगरानी-0092/2019/सीहोर/भू.रा. पुनर्रीक्षण याचिका क्र.   /2018

मोहम्मद सादिक खॉ आत्मज मोहम्मद शहीद खॉ, निवासी– भोपाल जिला भोपाल म.प्र.	:–	पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष सीहोर म.प्र.	उत्तरार्थी/अनावेदक

पुनर्रीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कमिश्नर भोपाल के द्वितीय अपील राजस्व प्रकरण क्रमांक–0089/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 पक्षकार मोहम्मद सादिक खॉ विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीहोर जिला सीहोर के राजस्व अपील क्रमांक–109/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 से दुखित होकर वर्तमान पुनर्रीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

(हस्तलिखित: प्रस्तुत ... 22/11/18; 9826070988)

याचिका के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा के समक्ष इस आशय का म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था कि वह मौजा कतपोन, स्थित भूमि ख.नं. 138/20/क रकवा 2.00 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया है तथा उपरोक्त भूमि में स्वामित्व के रूप में राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया ।

2. यह कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र रा.प्र.क्र. 02/अ–6/2016–17 के रूप में [illegible]

[illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-0092/2019/सीहोर/भू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-4-19	प्रकरण का अवलोकज किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	